

F-07-08 F-07-11

## सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु– 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU–560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 1315 का संशोधन सहित नवीकरण Renewal cum Amendment of Type Approval No.: 1315

विषय /Sub : वीओआर/आईएलएस/मार्कर रिसीवर यूनिट एएनएस 1100ए VOR /ILS/MARKER Receiver Unit ANS 1100A

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड़, एवियॉनिक्स प्रभाग, एचएएल पोस्ट, बालानगर, हैदराबाद – 500 042 द्वारा अभिकल्पित, विकसित एवं उत्पादित "वीओआर/आईएलएस/मार्कर रिसीवर यूनिट, एएनएस 1100ए" माउंटिंग ट्रे पार्ट सं.: एन 148395 और अडैप्टर प्लेट असेंब्ली पार्ट सं.: बीएन 733860, सहित पार्ट सं.: एन 148360 को संदर्भ सं.: सेमिलैक/ 5070 / टीए-1315, दिनांक 02 जनवरी 2007 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.: 1315 जारी किया गया था। यह तदुपरांत संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1315/1आर, दिनांक 08 अप्रैल 2013 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2017 तक थी।

This is to certify that the "VOR / ILS / MARKER Receiver unit ANS 1100A" bearing the Part Number: N148360, along with mounting tray Part No. N148395 and adapter plate assembly Part No. BN733860 designed, developed and manufactured by M/s Hindustan Aeronautics Limited, Avionics Division, HAL Post, Balanagar, Hyderabad – 500 042 was issued with Type Approval No.: 1315 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1315, dated: 02nd January 2007.It was subsequently renewed vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1315/1R, 08th April 2013 with its validity up to 31st December 2017.

ЧВ/ Page 01 of 03

पष्ट/Page 02 of 03 टीएसं. / TA No.: 1315

आरसीएमए (हैदराबाद) द्वारा, अपने पत्र संदर्भ सं. आरसीएमए (हैदराबाद)/01-14, दिनांक 09 नवंबर 2018 के अनुसार किए गए सिफारिश के अनुसार, उक्त वर्ग अनुमोदन सं.:1315 के परिशिष्ट 'ए' (2 पृष्ठ के 1 पृष्ठ में) में निम्नलिखित संशोधन लागू है। तालिका 1 की पंक्ति छः (6) के बाद जोडिए (अस्थायी मंजूरी सं. के बाद)

Based on the recommendation by RCMA (HYD) vide their letter Ref. No. RCMA (HYD) / 01 - 14, dated 09th November 2018, the following amendment is effected in Appendix 'A', (Page 1 of 2) of the subject Type Approval No.:1315. "Add after Sixth ( $6^{th}$ ) row of the Table 1 (after Provisional Clearance No.):"

Approved Component Build Standard MT001, dated: 29th October (ACBS) Document Number

2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 नवंबर 2018 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपृष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 अक्तूबर 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (हैदराबाद), सेमिलैक, हैदराबाद – 500 042, से अनुरोध करना होगा।

This is certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st November 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st October 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Hyderabad), CEMILAC, Hyderabad-500 042, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1315, दिनांक 02 जनवरी 2007 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1315, dated: 02nd January 2007 is amended as stated herewith.

직정/Page 03 of 03

टीएसं. / TANo.: 1315

"[अगर टाइप रिकोर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलुरु – 560 037, की पूर्व सहमित लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]"

"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]".

5. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered and fully applicable.

सं./ No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1315/2R

दिनांक / Date : 🤦 🕻 November 2018

फैक्ससं./Fax No.: 080 - 2523 0856

KB X2.

पी . जयपाल/ P. JAYAPAL

उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/ Chief Executive (Airworthiness)